राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

स्मरण पत्र

(प्लाट नं. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स माल के पास, लाल कोठी,जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/823 दिनांक :-17-4-17

समस्त पैरामेडिकल कॉलेज
राजस्थान

विषयः- सत्र 2016-17 की तृतीय काउंसलिंग के पश्चात (प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउन्सलिंग) अभ्यार्थियों की ज्वाईनीग सूचना भिजवाने हेतु ।

संदर्भः- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 681 दिनांक 27.03.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भिज पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2016-17 की तृतीय काउंसलिंग मे आवंटित अभ्यार्थियों ने दिनांकः-21.03.2017 अपनी उपस्थिती आपके पैरामेडिकल कॉलेज में अपनी उपस्थिती प्रस्तुत की है, की सूचना निम्न प्रारूप में भिजवाने हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 29.03.2017 तक ऑनलाईन/ऑफलाईन अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जाने हेतु लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः पुनः पत्र लिखकर लेख है कि जिन पैरामेडिकल कॉलेजों ने (राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त) उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचना आज दिनांक तक नहीं दी है को निर्देशित किया जाता है उक्त सूचना ऑनलाईन/ऑफलाईन अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्न प्रारूप में तीन दिवस में भिजवाने की कृपा करे।

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	ऑनलाईन एप्लीकेशन आई.डी.नं.	जन्म दिनांक	सैकण्डरी बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी विषय पी.सी.बी./पी.सी.एम.	सीनियर सैकण्डरी के प्राप्तांक	जाति वर्ग	काउन्सलिंग प्रथम/द्वितीय/तृतीय
1.										

क्रम सं.	पैरामेडिकल कॉलेज का नाम	कोर्स का नाम	कुल सीट	रिक्त सीट
1.				

आपको सूचित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं के आधार पर उपस्थिति देने वाले प्रशिक्षणार्थियों का सत्यापन करवाने का श्रम करें अन्यथा पैरामैडीकल कौंसिल के द्वारा करवाये जा रहे कोर्स के लिए परीक्षा में बैठने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशिक्षण केन्द्र की होगी-

1. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2016-17 में प्रशिक्षण हेतु प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउंसलिंग के द्वारा आवंटित प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण केन्द्र पर दी है, के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की मूल अंकतालिका/मूल निवास/प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)/जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र अपने स्तर से जमा करें।
2. प्रशिक्षणार्थी अजमेर बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड से करावें एवं अजमेर बोर्ड समकक्षता का प्रमाण-पत्र लेवें।
3. प्रशिक्षणार्थी द्वारा की उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (Physics, Chemistry, Biology/Maths) से उत्तीर्ण की गयी है, यह सुनिश्चित करें।
4. प्रशिक्षणार्थी कृषि विज्ञान (Agriculture) /कला वर्ग/वाणिज्य वर्ग से उत्तीर्ण है तो प्रशिक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

5. प्रशिक्षणार्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा में सामान्य जाति के लिए 45% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 40% प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

6. जिन प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण केन्द्र पर दी है, उनकी आयु दिनांक 31.12.2016 तक 17 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।

रजिस्ट्रार

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/823 दिनांक :– 17-4-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी सर्वर रूम।
2. काउन्सलिंग पत्रावली।
3. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार